



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274361
CG-DL-E-11072026-274361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 556]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 614.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2). ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 की मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“12. मिशन निदेशक, अंतःविषयक साइबर भौतिक प्रणाली राष्ट्रीय मिशन और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरना”

[फा. सं. 39018/02/2025-पीपी(बी.1)]

एस डी शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.789 तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.502 तारीख 15 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

G.S.R. 614(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule-II, after item 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"12. Filling up the posts of Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems, and Mission Director, National Quantum Mission, in Department of Science and Technology, on deputation (including short-term contract) basis".

[F. No. 39018/02/2025-PP(B.I)]

S D SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 789, dated the 13th September, 1958, and last amended, vide notification number G.S.R. 203 (E), dated the 15th March, 2024.